

कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला - सीहोर

क/401/स0क/ 2016


सीहोर दिनांक 22.3.2016

—::निविदा::—

सीहोर जिले मे मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजनान्तर्गत जिले कि जनपद पंचायतों/नगर पालिकाओं के स्तर पर वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017तक) मे लगभग 5000 हजार कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जाना संभावित है एवं शासकीय कार्यक्रमों हेतु मंच साउण्ड सिस्टम लाईट, टेंट सामग्री, वर्तन, आभूषण एवं भोजन इत्यादी की व्यवस्था की जाना है।

जिसमें उक्त योजनान्तर्गत विवाह के समय कन्याओं को विभिन्न सामग्री जैसे:- टेंट, भोजन,आभूषण सेट एव बर्तन उपलब्ध कराई जाना है जनपद पंचायत सीहोर/ आष्टा/ इछावर/बुधनी/नसरुल्लागंज की दिनांक 5.4.2016 को समय दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाएं दिनांक 5.4.2016 को समय शाम 4.00 बजे निविदाकर्ताओं एवं उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदाएं दो प्रथक-प्रथक लिफाफे मे तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव (शासकीय कार्यक्रमों/मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना हेतु संबंधित फर्म का नाम एवं पता लिखा हो) जमा करना होगी। प्रत्येक सामग्री हेतु निविदा प्रपत्र में तकनीकी प्रस्ताव के साथ निर्धारित अमानत का (बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट) जो उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग सीहोर के पक्ष मे संगलन करना अनिवार्य होगा। जो सीहोर स्थित राष्ट्रीकृत बैंको की शाखा मे भुगतान योग्य हो। निविदा फार्म कार्यालयीन समय मे राशि रूपये 1000 हजार नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रदाय की जाने वाली सामग्री की सूची,मात्रा,आवेदन का प्रारूप,एवं अन्य विस्तृत जानकारी जिले की वेब साईट WWW.sehore.nic.in देखी व डाउन लोड के साथ ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय में (अवकाश दिवस को छोड कर) प्राप्त की जा सकती है।


उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला सीहोर

**कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला – सीहोर**

जनपद पंचायत का नाम
दिनांक

—:: निविदा-फार्म-ए ::—

प्रति,

उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला सीहोर

विषय :- मुख्यमंत्री कन्यादान / निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह हेतु निविदा विज्ञप्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि टेंट इत्यादी सामग्री निम्नानुसार रहेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक) के अंतर्गत समय-समय पर आयोजित विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों हेतु मंच, साउण्ड सिस्टम, लाईट, टेंट सामग्री एवं भोजन इत्यादी व्यवस्था:-

क्र	सामग्री का विवरण	मात्रा	यूनिट	दर
मंच				
1	लम्बाई x चौड़ाई x 5 ऊंचाई	1	वर्ग फूट	
2	लैकजरी व्ही.आई.पी लेदर कुर्सी (कव्हर सहित)	1	नग	
3	सेन्टर टेबल	1	नग	
4	स्टेज डॉम वाटर प्रूफ	1	वर्ग फूट	
5	वेक ड्रॉप स्टील फ्रेम में फ्लेक्स सहित	1	वर्ग फूट	
6	व्ही.आई.पी. टायलेट (ग्रीन रूम हेतु)	1	नग	
7	ए.सी.(क्षमता दो टन)	1	नग	
मंच हेतु साउण्ड सिस्टम				
1	चालिस हार्न, दस बाक्स, 02 पोडियम(कम्लोट सेट)	1	सेट	
2	125 के.बी.ए. साउण्ड प्रूफ जनरेटर (उच्च क्वालिटी)	1	नग	
3	कुर्सी फायवर (विना कवर के)	1	नग	
4	कुर्सी फायवर (कवर सहित)	1	नग	
5	कारपेट	1	नग	
लाईट व्यवस्था				
1	हेलोजन	1	नग	
2	सी.एफ.एल.	1	नग	
3	मेटल लाइटिंग	1	नग	
टेंट व्यवस्था				
1	पाईप पाण्डाल हेतु (10 से 15 फिट ऊंचाई) साधा	1	नग	

2	पाईप पाण्डाल हेतु (10 से 15 फिट ऊंचाई) वाटर प्रूफ	1	नग	
3	स्वागत गेट	1	नग	
4	सफेद पर्दे(15 x 10) वर्ग फूट	1	वर्ग फूट	
5	टेविल कवर सहित फिरिल के साथ	1	नग	
6	नेट	1	नग	
7	पंखे स्टेण्ड सहित	1	नग	
8	सिलिंग पंखे	1	नग	
9	कूलर	1	नग	

उक्त दर पर सामग्री आयोजन स्थल पर उपलब्ध करादी जावेगी दरे प्रति नग एवं वर्ग फुट में दी जावे।

हस्तक्षर

निविदा दाता का नाम

पूरा पता

मोबाईल नं.

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला – सीहोर

—:: मंच, साउण्ड सिस्टम, लाईट, एवं टेंट सामग्री इत्यादी व्यवस्था की शर्तें ::—

1. सामग्री दरें निविदा जारी होने की (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक) प्रभावशील रहेंगी
2. निविदा शुल्क 1000/- रुपये देना होगा जो वापसी योग्य नहीं होगा।
3. समिति को अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना दिये निविदा को निरस्त कर सकेगी अथवा निविदा की निर्धारित तिथि को बढ़ा सकेगी।
4. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
5. निविदा की दरें विकास खण्ड वार स्वीकृत की जावेगी इस लिए निविदा कार को विकासखण्डवार निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के साथ रुपये 50000/- हजार का बैंक ड्राफ्ट स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक का जो उप संचालक सामाजिक न्याय सीहोर के नाम देय हो धरोहर राशि के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. टेन/पेन नम्बर धारक एवं टीन नम्बर धारकों की निविदा मान्य की जावेगी तथा उस के क्रमांक सहित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदाकार द्वारा दुकान का रजिस्ट्रेशन पंजीकृत हो का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. अपनी दरें बंद लिफाफे में निर्धारित समय में कार्यालय में जमा करना होगी।
10. निविदा स्वीकृति का मापदण्ड न्यूनतम दर के आधार पर किया जावेगा।
11. टेंट लगाने का आदेश आवश्यकतानुसार जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा दिया जावेगा।
12. आपके द्वारा सामग्री की दर में सभी प्रकार के टैक्स सामिल रहेंगे।
13. निविदाकर्ता द्वारा प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं तकनीकी शर्तें तथा द्वितीय लिफाफे में वित्तीय ऑफर सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। दरें समस्त कर सहित होगी। लिफाफे पर स्पष्टतः तकनीकी एवं वित्तीय लिखा जावे। तकनीकी शर्तें पूर्ण न करने की दशा में वित्तीय ऑफर का लिफाफा नहीं खोला जावेगा।
14. निविदाकार को सील बन्द लिफाफे तथा निविदा फार्म के उपर जनपद पंचायत का नाम लिखना अनिवार्य होगा जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है।
15. यदि किसी जनपद पंचायत की निविदा प्राप्त नहीं होती है या निविदा निरस्त होने की स्थिति में अन्य जनपद पंचायत की स्वीकृत दर अनुसार अन्य निविदाकार को कार्य आदेश देने का अधिकार समिति को होगा।
16. निविदाकार की फर्म को शासकीय विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष का सामग्री प्रदाय का अनुभव होना आवश्यक है।
17. फर्म / एजेंसी का वर्ष 2015-16 वर्ष का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 30 लाख होना अनिवार्य होगा जो कि सी0ए0 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
18. सर्विस टेक्स का पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
19. दरे अनुमोदित करने हेतु समिति का निर्णय अंतिम होगा।
20. सभी विवाद का न्याय क्षेत्र सीहोर रहेगा।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला सीहोर

**कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला – सीहोर
तकनीकी निविदा**

1	निविदाकार फर्म / एजेंसी का नाम	
2	निविदा फर्म / एजेंसी का पूरा पता	
3	निविदा फर्म / एजेंसी का ई-मेल आईडी	
4	निविदा फर्म / एजेंसी का टीन नम्बर	
5	निविदा फर्म / एजेंसी (निविदाकार) का पेन नम्बर	
7	सर्विस टेक्स का पंजीयन प्रमाण पत्र	
8	फर्म / एजेंसी का स्थापना का पंजीयन (गुमास्ता)	
9	फर्म / एजेंसी का कार्य अनुभव वर्ष	
10	बैंक ड्रफ्ट / एफ.डी.आर न० बैंक नाम	
11	फर्म / एजेंसी का वर्ष 2015-16 वर्ष का वार्षिक टर्नओवर की राशि(सी०ए०द्वारा अनुमोदित)	

(सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न)

आवेदक का नाम / फर्म का नाम

.....

पूर्ण पता

फोन न०.....

**कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला – सीहोर
जनपद पंचायत का नाम सीहोर
आवदेन क्र.
दिनांक**

--: निविदा-फार्म ::- बी

प्रति,

उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला सीहोर

विषय :- मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह हेतु निविदा विज्ञप्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि बर्तन की भाव/दरें निम्नानुसार रहेगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक) के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह हेतु बर्तन व्यवस्था:-

क्र०	समग्री	संख्या	संस्था द्वारा प्रस्तावित दर (समस्त कर एवं परिवहन सहित)
1	गुंड - 10 लीटर 26 गेज	1	
2	गगरा - 3 से 4 लीटर 26 गेज	1	
3	गुंड - 10 लीटर 22 गेज	1	
4	गगरा - 3 से 4 लीटर 22 गेज	1	
5	परात मध्यम साईज साईज (1 फुट व्यास) 22 गेज	2	
6	परात मध्यम साईज साईज (1 फुट व्यास) 26 गेज	2	
7	थाली मध्यम साईज साईज (1 फुट व्यास) 26 गेज	2	
8	थाली मध्यम साईज साईज (1 फुट व्यास) 22 गेज	2	
9	कटोरी छोटी 26 गेज	2	
10	कटोरी छोटी 22 गेज	2	
11	कटोरी मध्यम साईज 26 गेज	2	
12	कटोरी मध्यम साईज 22 गेज	2	

13	चम्मच मध्यम साईज साईज	3	
14	ग्लास मध्यम साईज 26 गेज	4	
15	ग्लास मध्यम साईज 22 गेज	4	
16	लोटा मध्यम साईज	1	
17	वर्तन का डला फुल साईज 26 गेज	1	
18	वर्तन का डला फुल साईज 22 गेज	1	
19	वर्तन का डला मध्यम साईज 26 गेज	1	
20	वर्तन का डला मध्यम साईज 22 गेज	1	
21	कलछी मध्यम साईज	1	
22	पानी की टंकी 20 लीटर 26 गेज	1	
23	पानी की टंकी 10 लीटर 26 गेज	1	
24	पानी की टंकी 20 लीटर 22 गेज	1	
25	पानी की टंकी 10 लीटर 22 गेज	1	
26	दिया पीतल मध्यम साईज	1	
27	पानी की वाल्टी 15 लीटर 22 गेज	1	
28	पानी की वाल्टी 10 लीटर लीटर 22 गेज	1	
29	प्रेसर कुकर 5 लीटर हाकिंस	1	
30	प्रेसर कुकर 5 लीटर प्रेस्टीज	1	

उपरोक्त सामग्री प्रति सेट की दर रहेगी।

आवेदक का नाम/फर्म का नाम

.....
पूर्ण पता

फोन न0.....

कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला – सीहोर

—:: बर्तन प्रदाय की शर्तें ::—

1. सामग्री क्रय सूची अन्तर्गत की जावेगी।
2. सामग्री का नमूना टेंडर के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. सामग्री की मात्रा का निर्धारण पंजीयन सूची अनुसार किया जायेगा।
4. सामग्री दरें निविदा जारी होने की (अप्रैल 2016 से मार्च 2017) तक प्रभावशील रहेंगी
5. फर्म का जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का जीवित रजिस्ट्रेशन निविदा प्रकाशित होने के पूर्व का होना अनिवार्य हैं तथा चाही गई सामग्री का उसमें स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य हैं।
6. सामग्री विवाह दिनांक से तीन दिन पूर्व विवाह स्थलों पर प्रदाय करना होगा तथा भाड़ा दरों में ही समाहित होगा अलग से भाड़ा हम्माली नहीं दी जावेगी।
7. निविदादाता का जीवित टीन एवं पेन नम्बर होना अनिवार्य हैं एवं निविदादाता का जीवित सेल टेक्स वलीयर्सस सार्टिफिकेट (विभाग द्वारा जारी किया गया हो) निविदा प्रकाशित होने के पूर्व की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. फर्म का स्थापना का पंजीयन (गुमास्ता) जीवित निविदा प्रकाशित होने के पूर्व की छायाप्रति होना आवश्यक है।
9. निविदाकार की फर्म को शासकीय विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष का सामग्री प्रदाय का अनुभव होना आवश्यक है।
10. वर्तन निर्धारित सेमपल अनुसार पेकिंग कर देना होगा।
11. अपनी दरें बंद लिफाफे में निर्धारित समय में कार्यालय में जमा करना होगी।
12. खरीदी का मापदण्ड दर एवं गुणवत्ता दोनो के आधार पर किया जावेगा।
13. क्रय आदेश आवश्यकतानुसार जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा दिया जावेगा।
14. निविदा शुल्क 1000/- रुपये देना होगा जो वापसी योग्य नहीं होगा।
15. निविदा के साथ रुपये 50000/- हजार का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक का जो उप संचालक सामाजिक न्याय सीहोर के नाम देय हो धरोहर राशि के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. निविदा की दरें विकास खण्डवार स्वीकृत की जावेगी इसलिए निविदा कार को विकासखण्डवार निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. यदि किसी जनपद पंचायत की निविदा प्राप्त नहीं होती है या निविदा निरस्त होने की स्थिति में अन्य जनपद पंचायत की स्वीकृत दर अनुसार अन्य निविदाकार को कार्य आदेश देने का अधिकार समिति को होगा।
18. आपके द्वारा सामग्री की दर में सभी प्रकार के टैक्स शामिल रहेंगे।
19. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सेम्पल के अनुसार ही सामग्री प्रदाय करना होगी सेम्पल से न्यूनतम सामग्री प्रदाय की गई या निर्धारित समय के अन्दर सामग्री प्रदाय नहीं की गई तो धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात की जाकर संबंधित फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
20. निविदाकर्ता द्वारा प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं तकनीकीय शर्तें तथा द्वितीय लिफाफे में वित्तीय ऑफर सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। दरें समस्त कर सहित होगी। लिफाफे पर स्पष्टतः तकनीकी एवं वित्तीय लिखा जावे। तकनीकीय शर्तें पूर्ण न होने की स्थिति में वित्तीय ऑफर का लिफाफा नहीं खोला जावेगा।
21. फर्म /एजेंसी का वर्ष 2015-16 वर्ष का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 50 लाख होना अनिवार्य होगा जो कि सी0ए0 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

22. निविदा की दरें विकास खण्ड वार स्वीकृत की जावेगी इस लिए निविदाकार को विकासखण्डवार निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. टेंडर स्वीकृत-अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति का होगा,समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
24. सभी विवाद का न्याय क्षेत्र सीहोर रहेगा।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला सीहोर

कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला – सीहोर
तकनीकी निविदा

1	निविदाकार फर्म / एजेंसी का नाम	
2	निविदा फर्म / एजेंसी का पूरा पता	
3	निविदा फर्म / एजेंसी का ई-मेल आईडी	
4	निविदा फर्म / एजेंसी का टीन नम्बर	
5	निविदा फर्म / एजेंसी (निविदाकार) का पेन नम्बर	
6	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का रजिस्ट्रेशन क्रमांक व रजिस्ट्रेशन दिनांक	
7	सेल टेक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिनांक	
8	फर्म / एजेंसी का स्थापना का पंजीयन (गुमास्ता)	
9	फर्म / एजेंसी का कार्य अनुभव वर्ष	
10	बैंक ड्रफ्ट / एफ.डी.आर न0 बैंक नाम	
11	फर्म / एजेंसी का वर्ष 2015-16 वर्ष का वार्षिक टर्नओव्हर की राशि(सी0ए0द्वारा अनुमोदित)	

(सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न)

आवेदक का नाम / फर्म का नाम

.....

पूर्ण पता

फोन न0.....

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला – सीहोर

सम्पूर्ण जिला
आवेदक क्रमांक
दिनांक

--: निविदा-फार्म :- सी

प्रति,

उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला सीहोर

विषय :- मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह हेतु निविदा विज्ञप्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आभूषण की भाव/दरें निम्नानुसार रहेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक) के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह हेतु आभूषण व्यवस्था:-

क्र०	समग्री	संख्या	संस्था द्वारा प्रस्तावित दर (समस्त कर एवं परिवहन सहित)		
			40%	50%	60%
1	मंगलसूत्र (चांदी का पेण्डल) 20 gm	1			
2	मंगलसूत्र (चांदी का पेण्डल) 10 gm	1			
3	मंगलसूत्र (चांदी का पेण्डल) 5 gm	1			
4	पायल (चांदी में) 100 gm एक जोड़ी	1			
5	पायल (चांदी में) 50 gm एक जोड़ी	1			
6	पायल (चांदी में) 40 gm	1			
7	पायल (चांदी में) 30 gm एक जोड़ी	1			
8	पायल (चांदी में) 25 gm एक जोड़ी	1			
9	विछुड़ी (चांदी में) 6 gm	1			
10	विछुड़ी (चांदी में) 5 gm एक जोड़ी	1			

उपरोक्त सामग्री प्रति सेट की दर रहेगी।

आवेदक का नाम/फर्म का नाम

पूर्ण पता

फोन न०.....

कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला – सीहोर

—:: अभूषण प्रदाय की शर्तें ::—

1. सामग्री क्रय सूची अन्तर्गत की जावेगी।
2. सामग्री का नमूना टेंडर के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. सामग्री की मात्रा का निर्धारण पंजीयन सूची अनुसार किया जायेगा।
4. फर्म का व्यापार उद्योग केन्द्र का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हैं तथा चाही गई सामग्री का उसमें स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य हैं।
5. सामग्री विवाह दिनांक से तीन दिन पूर्व विवाह स्थलों पर प्रदाय करना होगा तथा भाड़ा दरों में ही समाहित होगा अलग से भाड़ा हम्माली नहीं दी जावेगी।
6. निविदादाता का जीवित टीन एवं पेन नम्बर होना अनिवार्य हैं एवं निविदादाता का जीवित सेल टेक्स क्लियरेंस सार्टिफिकेट (विभाग द्वारा जारी किया गया हो) की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. फर्म का विगत तीन वर्षों में औसत वार्षिक टर्न ओवर राशि रूपये 3 करोड़ होना अनिवार्य हैं , सी0ए0 द्वारा अनुमोदित व ऑडिटेड बेलेन्स शीट (विगत तीन वर्षों की)
8. निविदादाता को विगत वर्षों में किसी शासकीय या अर्ध शासकीय विभाग में कम से कम राशि रूपये 3 करोड़ के प्रदाय आदेश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं । इस के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
9. निविदादाता के पास चाहे गये आभूषण की आपूर्ति हेतु संस्था के पास भारतीय मानक ब्यूरो का लायसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. आभूषणों के स्पेसिफिकेसन की टेस्ट रिपोर्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था की देना अनिवार्य हैं।
11. फर्म के पास आई.एस.ओ. 9001:2008 व जी.एम.पी (गुड मेन्यूफेक्चरिंग ऑफ प्रेक्टीस का जीवित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं।
12. आभूषणों की दरें निविदा जारी होने की (अप्रैल 2016 से मार्च 2017) तक प्रभावशील रहेंगी
13. टेंडर स्वीकृत-अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति का होगा।
14. अपनी दरें बंद लिफाफे में निर्धारित समय में कार्यालय में जमा करना होगी।
15. खरीदी का मापदण्ड दर ना होकर समिति द्वारा गुणवत्ता के आधार पर किया जावेगा।
16. समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
17. सप्लाई आदेश आवश्यकतानुसार जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा दिया जावेगा ।
18. निविदा शुल्क 1000/- रूपये देना होगा जो वापसी योग्य नहीं होगा।
19. निविदा के साथ रूपये 50000/- हजार का बैंक ड्राफ्ट स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक का जो उप संचालक सामाजिक न्याय सीहोर के नाम देय हो धरोहर राशि के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सेम्पल के अनुसार ही सामग्री प्रदाय करना होगी सेम्पल से न्यूनतम सामग्री प्रदाय की गई या निर्धारित समय के अन्दर सामग्री प्रदाय नहीं की गई तो धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

21. निविदाकर्ता द्वारा प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं तकनीकीय शर्तें तथां द्वितीय लिफाफे मे वित्तीय ऑफर सील बंद लिफाफे मे प्रस्तुत करना होगी। दरें समस्त कर सहित होगी। लिफाफे पर स्पष्टतः तकनीकी एवं वित्तीय लिखा जावे। तकनीकीय शर्तें पूर्ण न होने की दशा मे संबंधित फर्म का वित्तीय ऑफर का लिफाफा नही खाला जावेगा।
22. दरें अनुमोदित करने हेतु समिति का निर्णय अंतिम होगा।
23. सभी विवाद का न्याय क्षेत्र सीहोर रहेगा।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला सीहोर

**कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला – सीहोर
तकनीकी निविदा**

1	निविदाकार फर्म / एजेंसी का नाम	
2	निविदा फर्म/एजेंसी का पूरा पता	
3	निविदा फर्म / एजेंसी का ई-मेल आईडी	
4	निविदा फर्म/एजेंसी का टीन नम्बर	
5	निविदा फर्म/एजेंसी (निविदाकार) का पेन नम्बर	
6	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का रजिस्ट्रेशन क्रमांक व रजिस्ट्रेशन दिनांक	
7	सेल टेक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिनांक	
8	फर्म/एजेंसी का स्थापना का पंजीयन (गुमास्ता)	
9	फर्म/एजेंसी का कार्य अनुभव वर्ष	
10	बैंक ड्रफ्ट/एफ.डी.आर न० बैंक नाम	
11	फर्म/एजेंसी का वर्ष 2015-16 वर्ष का वार्षिक टर्नओवर की राशि(सी०ए०द्वारा अनुमोदित) विगता तीन वर्षों का क्रमशः	
12	फर्म का आई.एस.ओ.प्रमाण पत्र क्रमांक	
13	फर्म का भारतीय मानक ब्यूरो का लायसेंस क्र०	
14	फर्म का जी.एम.पी. का प्रमाण पत्र	

(सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न)

आवेदक का नाम/फर्म का नाम

.....

पूर्ण पता

फोन न०.....

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला – सीहोर

जनपद पंचायत का नाम

आवेदक क्र०

दिनांक :-

-:: निविदा-फार्म-डी ::-

प्रति,

उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला सीहोर

विषय :- मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह एवं अन्य समारोह हेतु भोजन निविदा के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह एवं अन्य समारोह हेतु भोजन निविदा वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक) के अंतर्गत समय-समय पर आयोजित विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों हेतु भोजन व्यवस्था:-

क्र	सामग्री का विवरण	मात्रा	यूनिट	दर
भोजन व्यवस्था				
1	पूड़ी 8 नग 300 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम, अचार (पाऊच में) मिठाई 50 ग्राम	450 ग्राम	प्रति पेकेट	
2	पानी पाऊच	1 नग		
योग:-				

उक्त दर पर सामग्री आयोजन स्थल पर उपलब्ध करादी जावेगी दरे प्रति नग एवं प्रति पेकेट में दी जा रही है।

हस्तक्षर

निविदाकार का नाम:-

फर्म का नाम :-

पूरा पता :-

मोबाईल नं. :-

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला – सीहोर

--: मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह एवं अन्य कार्य हेतु भोजन व्यवस्था की शर्तें ::--

1. सामग्री दरें निविदा जारी होने की (अप्रैल 2016 से मार्च 2017) तक प्रभावशील रहेंगी
2. समिति को अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना दिये निविदा को निरस्त कर सकेगी अथवा निविदा की निर्धारित तिथि को बढ़ा सकेगी।
3. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
4. निविदा की दरें विकास खण्ड वार स्वीकृत की जावेगी इस लिए निविदा कार को विकासखण्डवार निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा शुल्क 1000/- रुपये देना होगा जो वापसी योग्य नहीं होगा।
6. निविदा के साथ रुपये 20000/- हजार का बैंक ड्राफ्ट स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक का जो **उप संचालक सामाजिक न्याय सीहोर** के नाम देय हो धरोहर राशि के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. जीवित टीन एवं पेन नम्बर धारकों की निविदा मान्य की जावेगी तथा उस के क्रमांक सहित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदाकार द्वारा दुकान का रजिस्ट्रेशन (गुमास्ता एवं खाद्य विभाग दोनो) पंजीकृत हो का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. अपनी दरें बंद लिफाफे में निर्धारित समय में कार्यालय में जमा करना होगी।
10. निविदा स्वीकृति का मापदण्ड दर एवं गुणवत्ता दोनो के आधार पर किया जावेगा।
11. भोजन व्यवस्था का आदेश आवश्यकतानुसार जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा दिया जावेगा।
12. आपके द्वारा सामग्री की दर में सभी प्रकार के टैक्स एवं हम्माली भाड़ा शामिल रहेंगे।
13. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात शुद्ध भोजन निर्धारित मात्रा एवं नियत स्थान तथा समय पर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। अन्यथा धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात की जाकर संबंधित फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
14. निविदाकर्ता द्वारा प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं तकनीकीय शर्तें तथा द्वितीय लिफाफे में वित्तीय ऑफर सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। दरें समस्त कर सहित होगी। लिफाफे पर स्पष्टतः तकनीकी एवं वित्तीय लिखा जावे।
15. यदि किसी जनपद पंचायत की निविदा प्राप्त नहीं होती है या निविदा निरस्त होने की स्थिति में अन्य जनपद पंचायत की स्वीकृत दर अनुसार अन्य निविदाकार को कार्य आदेश देने का अधिकार समिति को होगा।
16. दरे अनुमोदित करने हेतु समिति का निर्णय अंतिम होगा।
17. सभी विवाद का न्याय क्षेत्र सीहोर रहेगा।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला सीहोर

कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला – सीहोर
तकनीकी निविदा

1	निविदाकार फर्म / एजेंसी का नाम	
2	निविदा फर्म / एजेंसी का पूरा पता	
3	निविदा फर्म / एजेंसी का ई-मेल आईडी	
4	निविदा फर्म / एजेंसी का टीन नम्बर	
5	निविदा फर्म / एजेंसी (निविदाकार) का पेन नम्बर	
7	फर्म / एजेंसी का स्थापना का पंजीयन (खाद्य विभाग) का क्रमांक	
8	फर्म / एजेंसी का स्थापना का पंजीयन (गुमास्ता)	
9	फर्म / एजेंसी का कार्य अनुभव वर्ष	
10	बैंक ड्रफ्ट / एफ.डी.आर न0 बैंक नाम	

(सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न)

आवेदक का नाम / फर्म का नाम

.....

पूर्ण पता

फोन न0.....

कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला – सीहोर

क / /स0क / 2016

सीहोर दिनांक

—:: निविदा ::—

सीहोर जिले मे मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजनान्तर्गत जिले कि जनपद पंचायतों/नगर पालिकाओं के स्तर पर वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017तक) मे लगभग 5000 हजार कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जाना संभावित है एवं शासकीय कार्यक्रमों हेतु मंच साउण्ड सिस्टम लाईट, टेंट सामग्री, वर्तन, आभूषण एवं भोजन इत्यादी की व्यवस्था की जाना है।

जिसमें उक्त योजनान्तर्गत विवाह के समय कन्याओं को विभिन्न सामग्री जैसे:- टेंट, भोजन,आभूषण सेट एव बर्तन उपलब्ध कराई जाना है जनपद पंचायत सीहोर/ आष्टा/ इछावर/बुधनी/नसरुल्लागंज की दिनांक 5.4.2016 को समय दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाएं दिनांक 5.4.2016 को समय शाम 4.00 बजे निविदाकर्ताओं एवं उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदाएं दो प्रथक-प्रथक लिफाफे मे तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव (शासकीय कार्यक्रमों/मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना हेतु संबंधित फर्म का नाम एवं पता लिखा हो) जमा करना होगी। प्रत्येक सामग्री हेतु निविदा प्रपत्र में तकनीकी प्रस्ताव के साथ निर्धारित अमानत का (बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट) जो उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग सीहोर के पक्ष मे संगलन करना अनिवार्य होगा। जो सीहोर स्थित राष्ट्रीकृत बैंको की शाखा मे भुगतान योग्य हो। निविदा फार्म कार्यालयीन समय मे राशि रूपये 1000 हजार नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रदाय की जाने वाली सामग्री की सूची,मात्रा,आवेदन का प्रारूप,एवं अन्य विस्तृत जानकारी जिले की वेब साईट WWW.sehore.nic.in देखी व डाउन लोड के साथ ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय में (अवकाश दिवस को छोड कर) प्राप्त की जा सकती है।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण
जिला सीहोर